प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
संबंधित लघु सिचाई खण्ड।

संख्याः 78 /ल0सि0/बजट-3/2011-12, लखनऊःदिनांकःअप्रैल, 13, 2011

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजना के अधीन डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का आवंटन (राज्य योजना)।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजना के अधीन डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना राज्य सेक्टर हेतु शासनादेश सं0 1144/62-2-2011-2/3(81)/2011टी0सी0।।, दिनांक 01-4-2011 द्वारा प्राविधानित धनराशि रू0 214.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 2,14,00,000.00 (रूपया दो करोड़ चौदह लाख मात्र) को संलग्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित किया जाता हैः-

1. यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत लघु सिचाई विभाग की डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना राज्य सेक्टर पर व्यय हेतु है। आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।
2. प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश सं0 1468/62-2-2008-2/3(32)/2007टी0सी0-।,दिनांक 28.3.2008 में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
3. आवंटित धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जायें तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थायी नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायें। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाये तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमिति रखा जाये। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल के दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य

क्रमशः --2

लिखा जाये अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। आवंटित धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग को दी जायें।

5. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.6.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

6. आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय का विवरण निर्धारित रूप पत्र पर नीचे अंकित तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

1.	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2.	प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15.10.2011 तक
3.	व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15.12.2011 तक
4.	वर्ष 2011-12 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण(पुर्नविनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो।	15.02.2012 तक
5.	आवंटन का समर्पण	15.03.2012 तक

नोटः-दिनांक 15.03.2012 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन ''लेखाशीर्षक 2702-लघु सिचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08-डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता(ल0सि0)
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 78 /ल0सि0/बजट-3/2011-12, दिनांकित 13.4.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,लघु सिचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,अनु0-2,उ0प्र0 शासन को शासन उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.4.2011 के क्रम में।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,संबंधित जनपद।
3. जिलाधिकारी,संबंधित जनपद।
4. मुख्य विकास अधिकारी,संबंधित जनपद।
5. स्टाफ आफिसर/अधी0अभि0, लघु सिंचाई (कार्यक्रम), मुख्यालय।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,लघु सिचाई वृत्त।
7. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई (आपूर्ति)।
8. सहायक अभियन्ता,लघु सिचाई संबंधित जनपद।
9. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को तीन प्रतियों में।

(रमेश चन्द्र)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता(ल0सि0)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 78 /ल0सिं0/बजट-3/2011-12 दिनांक 13 अप्रैल 2011 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2702-लघु सिचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-08-डा0 अम्बेडकर सामुहिक नलकूप योजना (राज्य योजना)-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवंटित की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(लाख रू0 में)

क्र0सं	जनपद	परिव्यय	प्राविधान	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेरठ	2.14	2.14	2.14
2	बागपत	2.14	2.14	2.14
3	बुलन्दशहर	4.28	4.28	4.28
4	सहारनपुर	17.12	17.12	17.12
5	मुजफ्फरनगर	2.14	2.14	2.14
6	मथुरा	4.28	4.28	4.28
7	बरेली	4.28	4.28	4.28
8	बदायूँ	2.14	2.14	2.14
9	मुरादाबाद	12.84	12.84	12.84
10	जे0पी0नगर	12.84	12.84	12.84
11	बिजनौर	2.14	2.14	2.14
12	रायबरेली	4.28	4.28	4.28
13	उन्नाव	17.12	17.12	17.12
14	छ0शा0जी म0नगर	2.14	2.14	2.14
15	कानपुर नगर	4.28	4.28	4.28
16	रमाबाईनगर	10.70	10.70	10.70
17	इटावा	6.42	6.42	6.42
18	औरैया	6.42	6.42	6.42
19	फर्रुखाबाद	4.28	4.28	4.28
20	इलाहाबाद	17.12	17.12	17.12
21	कौशाम्बी	12.84	12.84	12.84
22	फतेहपुर	12.84	12.84	12.84
23	प्रतापगढ़	6.42	6.42	6.42
24	वाराणसी	6.42	6.42	6.42
25	चन्दौली	2.14	2.14	2.14
26	जौनपुर	4.28	4.28	4.28
27	मिर्जापुर	4.28	4.28	4.28
28	सुल्तानपुर	4.28	4.28	4.28
29	जालौन	10.70	10.70	10.70
30	हमीरपुर	10.70	10.70	10.70
	योगः-	**214.00**	**214.00**	**214.00**

(रूपया दो करोड़ चौदह लाख मात्र)

(रमेश चन्द्र)
वित्त एव लेखाधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता(ल0सि0)
उत्तर प्रदेश।